जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः—जविप्रा / अ.आ. / एल.पी.सी. / 13 / डी— 1132 दिनांकः— 23/7/13

कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 95वीं बैठक दिनांकः 10.07.13 को प्रातः 11.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में "चिन्तन सभा कक्ष" में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ठ 'अ' पर संलग्न है। बैठक में विचार विमर्श पश्चात निम्नांकित निर्णय लिये गये :—

क्र. सं	जोन नं.	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय
1.		95:1	प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 93वीं बैठक दिनांक 22.03.13 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन व 64वीं से 93वीं बैठक में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति की समीक्षा।	93वीं बैठक दिनांक 22.03.13 :— प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 93वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया। गत बैठक के बिन्दु सं. 93:3 के संबंध में एक कमेटी का गठन किया गया है, जो प्रकरण में विचार—विमर्श उपरान्त रिपोर्ट पेश करेगें। तदनुसार प्रकरण पुनः आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया। सदस्य सचिव द्वारा पालना रिपोर्ट की समीक्षा संबंधित उपायुक्त के साथ की जावे।
2.	13	95:2	राजस्व ग्राम चौंप में राजस्थान राज्य प्रसारण निगम लि. को आवंटित की गई भूमि को RVPNL की सहायक कम्पनी पिंकसिटी ट्रांसमिशन सर्विस कम्पनी लि. के नाम आवंटन / परिवर्तन व दर निर्धारण बाबत।	समिति द्वारा विचार—विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि जिस कम्पनी को भूमि दी जा रही है उसका विधिक स्थिति (Legal Status) की जानकारी प्राप्त की जावें। कम्पनी से संबंधित दस्तावेज व एम.ओ.यू. की प्रति प्राप्त की जाकर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया। दिनांक 20.06.13 को राजस्थान राज्य विधुत प्रसारण निगम एवं जविप्रा अधिकारियों की विधुत भवन में आयोजित बैठक में 400केवी जीएसएस हेतु 20 हेक्टेयर भूमि आवंटन बाबत निर्णय लिया गया है, जबकि प्राधिकरण द्वारा 22 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है। अतः निर्णयानुसार संशोधित एजेण्डा नोट विस्तृत विवरण के साथ आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।
3.	13	95:3	श्री योगेन्द्र सिंह चाहर राष्ट्रपति पुरस्कार अवार्डी अध्यापक को भूखण्ड आवंटन बाबत।	समिति द्वारा विचार—विमर्श कर राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 17ए के तहत राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त करने वाले अध्यापकों के भूखण्ड आवंटन हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों के निस्तारण हेतु निम्न प्रकार नीतिगत निर्णय लिये गये :— 1. समस्त पात्र आवेदको को पीताम्बरा आवासीय योजना में आरक्षित किये गये भूखण्डों में से भूखण्ड आवंटन का निर्णय लिया गया। 2. अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी) राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों के प्राप्त लम्बित आवेदनो की एकजाही सूची तैयार करे। इस हेतु जोन में लम्बित आवेदन पत्र एलपीसी प्रकोष्ठ में प्राप्त किये जावे। 3. इस बैठक में प्राप्त प्रस्ताव सं. 95:3 से 95:13 व 95:18 के क्रम में यह निर्णय लिया गया कि जयपुर जिले के निवासी शिक्षकों के आवेदन पत्रों में नियम 17ए के अन्तर्गत 200 वर्गमीटर क्षेत्रफल के पीताम्बरा आवासीय योजना में 12 मीटर चौडी सड़क पर स्थित भूखण्डों का आवंटन आवासीय आरक्षित दर पर किया जावे व उपायुक्त द्वारा लॉटरी निकालकर भूखण्ड आवंटन किया जावे। 4. जिन पात्र आवेदको का गृह जिला जयपुर न होकर

उपायुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

				अन्यत्र है, उनके बारे में नगरीय विकास विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त किया जावे कि क्या इन आवेदकों को उनके गृह जिले में भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन करने हेतु लिखा जावे अथवा उनकी मांग/ आवश्यकता के अनुसार जयपुर मुख्यालय पर भूखण्ड आवंटन किया जावे। नगरीय विकास विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त होने पर तदनुसार जयपुर से बाहर के जिलों के शिक्षको के प्राप्त आवेदन पत्रों पर कार्यवाही की जावे। 5. भविष्य में प्रत्येक राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों के आवेदन के साथ यूआई.डी. नं. लिया जावे व जिन शिक्षको को भूखण्ड आवंटन कर दिया जाता है, उनका विवरण जविप्रा की वेबसाईट पर डालने हेतु सिस्टम एनालिस्ट को आवश्यक कार्यवाही हेतु लिखा जावे, ताकि दोहरा आवंटन नहीं हो जावें।
4.	13	95:4	श्री चन्द्रभान सिंह पलसानियां राष्ट्रपति पुरस्कार अवार्डी अध्यापक को भूखण्ड आवंटन बाबत।	प्रस्ताव सं. 95:3 के अनुसार कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।
5.	13	95:5	श्री शान्ति कुमार पारीक राष्ट्रपति पुरस्कार अवार्डी अध्यापक को भूखण्ड आवंटन बाबत।	प्रस्ताव सं. 95:3 के अनुसार कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।
6.	13	95:6	श्रीमती गिरिजा वैष्णव राष्ट्रपति पुरस्कार अवार्डी अध्यापक को भूखण्ड आवंटन बाबत।	प्रस्ताव सं. 95:3 के अनुसार कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।
7.	13	95:7	श्री किशनलाल सैनी राष्ट्रपति पुरस्कार अवार्डी अध्यापक को भूखण्ड आवंटन बाबत।	प्रस्ताव सं. 95:3 के अनुसार कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।
8.	13	95:8	श्री जगदीश प्रसाद चावला राष्ट्रपति पुरस्कार अवार्डी अध्यापक को भूखण्ड आवंटन बाबत।	प्रस्ताव सं. 95:3 के अनुसार कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।
9.	13	95:9	श्री सांवरमल जाट राष्ट्रपति पुरस्कार अवार्डी अध्यापक को भूखण्ड आवंटन बाबत।	प्रस्ताव सं. 95:3 के अनुसार कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।
10.	13	95:10	श्री फूलचन्द वर्मा राष्ट्रपति पुरस्कार अवार्डी अध्यापक को भूखण्ड आवंटन बाबत।	प्रस्ताव सं. 95:3 के अनुसार कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।
11.	13	95:11	श्री विष्णु दत्त शर्मा राष्ट्रपति पुरस्कार अवार्डी अध्यापक को भूखण्ड आवंटन बाबत।	प्रस्ताव सं. 95:3 के अनुसार कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।
12.	13	95:12	श्रीमती गीता संतानी राष्ट्रपति पुरस्कार अवार्डी अध्यापक को भूखण्ड आवंटन बाबत।	प्रस्ताव सं. 95:3 के अनुसार कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।
13.	13	95:13	श्री सवाई राम जाट राष्ट्रपति पुरस्कार अवार्डी अध्यापक को भूखण्ड आवंटन बाबत।	प्रस्ताव सं. 95:3 के अनुसार कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

उपायुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

14.	13	95:14	श्री लक्ष्मीनारायण यादव पुत्र स्व. श्री झूथाराम यादव को रमल्यावाला डेयरी योजना में आवंटित भूखण्ड पर काश्तकारों का कब्जा होने से विनिमय कर दिनांक 23.02.11 को निकाली गयी लॉटरी के अनुसार आर–9 भूखण्ड आवंटित भूखण्ड पर जे.ई.एन. एवं अमीन की मौका रिपोर्ट के अनुसार काश्तकरों एवं जविप्रा के मध्य विवाद होने के कारण श्री यादव को रमल्यावाला मुख्य डेयरी योजना में भूखण्ड सं. 565 क्षेत्रफल 11.70X30.00=351.00 वर्गमीटर आवंटित करने बाबत।	समिति द्वारा विचार–विमर्श कर निर्णय लिया गया कि डेयरी योजनाओं में आवंटित भूखण्डों पर अन्य व्यक्तियों का कब्जा होने अथवा अन्य कारणों से जोन कार्यालयों में इस प्रकार के लम्बित भूखण्ड आवंटन के प्रकरणों का परीक्षण कर एक साथ आगामी बैठक में प्रस्तुत करने हेतु उपायुक्त जोन 13 व 14 को निर्देशित किया जावे।
15.	9	95:15	भूखण्ड सं. बी–341, रामनगरिया विस्तार योजना के स्थान पर अन्य भूखण्ड विनिमय करने बाबत। कुमारी सोनू पारीक	कुमारी सोनू पारीक पुत्री श्री श्रीनाथ पारीक को रामनगरिया विस्तार योजना में भूखण्ड सं. बी–341 क्षेत्रफल 45 वर्गमीटर आवंटित किया गया था, किन्तु भूखण्ड पर अन्य कास्तकार का कब्जा होने के कारण कब्जा पत्र जारी नहीं किया जा सका। आवंटी द्वारा उक्त भूखण्ड के स्थान पर अन्य भूखण्ड विनिमय में दिये जाने का अनुरोध किया है। उपायुक्त ने बताया कि समान आकार व समान चौडाई की सड़क पर स्थित नॉन कॉर्नर भूखण्ड सं. बी–498 से बी–501 एवं बी–535 से बी–542 उपलब्ध है। इनमें से कोई एक भूखण्ड विनिमय में आवंटन करने का निर्णय लिया गया। इस योजना में जितने भूखण्डों पर अतिक्रमण पाया जावे उसे उपायुक्त व मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन मिलकर हटाने की कार्यवाही करे।
16.	9	95:16	श्री घनश्याम गुप्ता पुत्र स्व. श्री बद्री नारायण गुप्ता को सेन्ट्रल स्पाईन योजना में भूखण्ड सं. ई–6 के स्थान पर ई–6ए विनिमय में देने बाबत।	श्री घनश्याम गुप्ता को सेन्ट्रल स्पाईन योजना में पूर्व आवंटित भूखण्ड सं. ई–6 क्षेत्रफल 270.00 वर्गमीटर का मौके पर क्षेत्रफल 185.62 वर्गमीटर बढ जाने से कब्जा पत्र जारी नहीं किया जा सका। अतः समान माप व समान चौडाई की सड़क पर भूखण्ड सं. ई–6ए विनिमय करने का निर्णय लिया गया। पूर्व आवंटित भूखण्ड सं. ई–6 का निलामी द्वारा निस्तारण किया जावे।
17.	9	95:17	श्री राजकुमार अग्रवाल पुत्र श्री पी.डी. अग्रवाल को सैन्ट्रल स्पाईन योजना में भूखण्ड सं. डी–133 कॉर्नर के स्थान पर भूखण्ड सं. 21, 22, 23, 24 में से कोई एक भूखन्ड आवंटन बाबत।	श्री राजकुमार अग्रवाल को सेन्ट्रल स्पाईन योजना के भूखण्ड सं. डी–133 कॉर्नर क्षेत्रफल 270 वर्गमीटर के स्थान पर समान माप व समान चौडाई की सड़क पर स्थित भूखण्ड सं. 21, 22, 23, 24 में से कोई एक नॉनकॉर्नर भूखण्ड का लॉटरी द्वारा विनिमय करने का निर्णय लिया गया।
18.	13	95:18	श्री सुरेन्द्र कुमार यादव राष्ट्रपति पुरस्कार अवार्डी अध्यापक को भूखण्ड आवंटन बाबत।	प्रस्ताव सं. 95:3 के अनुसार कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।
19.	11	95:19	अनुकृति बिल्डर्स एण्ड डवलपर्स को टॉउनशिप पॉलिसी 2010 के अन्तर्गत सुविधा क्षेत्र में स्कूल/कॉलेज के लिए भूमि आवंटन बाबत।	प्रकरण पर समिति द्वारा विचार–विमर्श कर निर्णय लिया गया कि सर्वप्रथम संस्था से संस्थागत आवंटन हेतु राज्य सरकार की नीति दिनांक 19.04.11 के अन्तर्गत निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र मय विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्राप्त किए जावे। तत्पश्चात् परीक्षण कर प्रकरण प्रस्तुत किया जावे।
20.	2	95:20	थानाधिकारी पुलिस थाना विश्वकर्मा जयपुर शहर में विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र रोड नं. 17 पर पुलिस चौंकी हेतु भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में।	विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र रोड नं. 17 ग्राम आंकेडा डूंगर के खसरा नं. 1099 में से 3 बीघा 6 बिस्वा भूमि आवंटन करने का निर्णय दिनांक 10.11.98 को एलपीसी बैठक में लिया गया था। उक्त भूमि माननीय उच्च न्यायालय में निर्णित दाद अब्दुल रहमान बनाम सरकार से प्रभावित

अति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

				होने के कारण आवंटन प्रतिबन्धित है। अतः आवंटन निरस्तीकरण की अभिशंषा के साथ प्रकरण राज्य सरकार को भेजने का निर्णय लिया गया। उपायुक्त को निर्देशित किया गया कि तलाई का सीमाज्ञान कराकर पत्थरगढी करावे।
आयुक्त महोदय की अनुमति से निम्न अतिरिक्त एजेण्डा पर चर्चा कर निर्णय लिये गये :--				
21.	13	95:20(1)	दैनिक उद्योग आस–पास समाचार पत्र को भूमि आवंटन बाबत।	प्रकरण पर चर्चा कर निर्णय लिया गया कि समाचार पत्र के सम्पादक से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्राप्त की जाकर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।
22.	11	95:20(2)	मदरामपुरा कच्ची बस्ती के अन्तर्गत ग्राम जैतपुरा उर्फ हाज्यावाला के कीरो की ढाणी (बलाईयो की ढाणी) के पुर्नवास हेतु भूखण्डों का आवंटन व प्रिमियम राशि निर्धारण हेतु।	ग्राम मदरामपुरा के खसरा नं. 37, 241 व 245 की मौके व रिकार्ड की स्थिति उपायुक्त द्वारा स्पष्ट की जावे। एजेण्डा नोट में 11 अतिक्रमियों को भी पुर्नवासित करने का उल्लेख किया गया है, उक्त प्रस्ताव किन नियमों के तहत प्रस्तुत किये गये है उनका उल्लेख करते हुए प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।

बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

सदस्य सचिव
एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)
प्रति॰ आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
4. जिला कलक्टर, जयपुर
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
6. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर
7. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर
8. मुख्य अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर
9. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर
10. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
11. निदेशक(वित्त / अभियांत्रिकी–प्रथम / आयोजना), जविप्रा, जयपुर
12. अतिरिक्त आयुक्त(पूर्व / पश्चिम / एल.पी.सी. / भूमि), जविप्रा, जयपुर
13. संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय), जविप्रा, जयपुर
14. अतिरिक्त निदेशक(राजस्व एवं सम्पति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर
15. उपायुक्त जोन–1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
16. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को कार्यवाही विवरण स्केन करने के लिये।
17. सहायक निदेशक, जन सम्पर्क, जविप्रा, जयपुर
18. रक्षित पत्रावली

सदस्य सचिव
एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)

परिशिष्ट 'अ'

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपस्थिति पत्र

भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 95वी बैठक दिनांक 10.07.13 मे उपस्थित अधिकारियों की सूचीः–

क्र.सं.	नाम अधिकारी मय पद	एल.पी.सी. में पद
1.	श्री अभय कुमार, आयुक्त	अध्यक्ष
2.	श्री बिष्णु चरण मल्लिक, सचिव	सदस्य
3.	श्री डी.सी. जबडा, निदेशक (वित्त)	सदस्य
4.	श्रीमती लवंग शर्मा, निदेशक (आयोजना)	सदस्य
5.	श्री त्रिभुवनपति, अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व)	सदस्य
6.	श्रीमती नलिनी कठोतिया, अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)	सदस्य सचिव
7.	श्रीमती दीनू निहलानी, निदेशक (विधि)	विशेष आमंत्रित
8.	श्रीमती ममता राव, उपायुक्त जोन–2	विशेष आमंत्रित
9.	श्री केसर लाल मीणा, उपायुक्त जोन–9	विशेष आमंत्रित
10.	श्री राजेश सक्सैना, सिस्टम एनालिस्ट	विशेष आमंत्रित
11.	श्री उम्मेद सिंह, तहसीलदार, जोन–11	विशेष आमंत्रित
12.	श्री सुरेश चावला, तहसीलदार, जोन–13	विशेष आमंत्रित